राजस्थान कर बोर्ड,अजमेर

अपील संख्या 1246/2006/अलवर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
उडनदस्ता, अलवर — अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स ए.के.ट्रेडर्स
टपूकडा,अलवर — प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री सुनील शर्मा, सदस्य

उपस्थित
श्री रामकरण सिंह
राजकीय उप अभिभाषक — अपीलार्थी की ओर से
श्री अलकेश शर्मा
अधिवक्ता — प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक 27.5.2015

निर्णय

यह अपील सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उडनदस्ता, अलवर (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा उपायुक्त(अपील्स)वाणिज्यिक कर,भरतपुर द्वारा अपील संख्या 150/उपा–।।पेजीआर/उपा–भरत/04–05/आरएसटी/ के विरूद्ध प्रस्तुत की है ।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 24.02.2003 को वाहन संख्या आरजे/14–जी–6322 को खुशखेडा औद्योगिक क्षेत्र में रोककर चेक किया गया। वक्त चेकिंग वाहन में लोहा सरिया लदा पाया गया ,जिसके सम्बन्ध में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दस्तावेज मांगे जाने पर वाहन चालक द्वारा बिल संख्या 134 दिनांक 24.2.2003 तथा बिल्टी संख्या 3547 दिनांक 24.2.2003 पेश किये गये। उक्त प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों के अनुसार वाहन में लदा माल टपूकडा से जयपुर के लिए परिवहनित किया जा रहा था। प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच एवं वाहन चालक के बयान लेने पर ज्ञात हुआ कि बिल जारी कर्ता टपूकडा में स्थित है जबकि वाहन चालक ने बयान दिया है कि माल खुशखेडा, भिवाडी से भरा गया है। उक्त तथ्यों के पाये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी ने माल बिल बोगस होने तथा करापवंचन के उद्देश्य से माल का परिवहन किया जाना मानकर राजस्थान विक्रय कर अधिनियम,1994 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 78(5) के अन्तर्गत माल की कीमत रू. 1,72,999/– पर 30प्रतिशत की दर से शास्ति रू. 51,900/–आरोपित की। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा उक्त शास्ति को अपीलीय अधिकारी के समक्ष विवादित करने पर, उन्होंने अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.09.2005 पारित आरोपित शास्ति अपास्त कर दी। अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.09.2005 से क्षुब्ध होकर कर निर्धारण अधिकारी की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी कर निर्धारण अधिकारी की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि वक्त चेकिंग परिवहनित माल के सम्बन्ध में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों के अनुसार माल का परिवहन टपूकडा से जयपुर के लिए किया जा रहा था। उनका कथन है कि बिल जारी कर्ता टपूकडा में स्थित है जबकि वाहन चालक ने अपने बयानों में बताया है कि माल मैसर्स राठी बार्स लिमिटेड,खुशखेडा भिवाडी से भरा गया है,जिससे स्पष्ट है कि बोगस बिल से माल का परिवहन किया जा रहा था,इसलिए अधिनियम की धरा 78 (2) के प्रावधानों का उल्लंघन होने के कारण कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 78 (5) के अन्तर्गत माल की कीमत पर 30 प्रतिशत की दर से शास्ति रू. 51,900/–आरोपित की,जो पूर्णतः उचित है। उनका कथन है कि अपीलीय अधिकारी ने विधिक प्रावधानों एवं प्रकरण के तथ्यों की अनदेखी करते हुए आरोपित शास्ति को अपास्त किया गया है,जो अविधिक है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रस्तुत अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश को अपास्त करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि प्रत्यर्थी फर्म द्वारा मैसर्स राठी बार्स खुशखेडा से माल खरीदा जाकर जयपुर स्थित फर्म को भेजा जा रहा था तथा समय की बचत करने हेतु पूर्व में ही टपूकडा से बिल बनाया जाकर भेजा गया था ताकि वापसी में वाहन को टपूकडा में रोके बिना सीधे ही जयपुर भिजवाया जा सके। उनका कथन है कि वक्त जांच प्रस्तुत किये गये बिल स्पष्ट रूप से माल कर चुका होने का अंकन किया हुआ था,जिससे करापकवंचन की कोई संभावना नहीं थी। उनका कथन है कि इन्हीं तथ्यों को ध्यान मे रखते हुए विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा [illegible]

कथन को मिथ्या मानने के सम्बन्ध में बहस के दौरान विद्वान उप राजकीय अभिभाषक द्वारा ऐसे कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये। विद्वान अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों का विवेचन करने के पश्चात विधि एवं न्याय संगत अपीलाधीन आदेश पारित किया है,जिसमें किसी हस्तक्षेप का औचित्य नजर नहीं आती है। फलस्वरूप कर निर्धारण अधिकारी की ओर से प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(सुनील शर्मा)
सदस्य